



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक 14.09.2026

**थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 280/2026 धारा
191(2)/191(3)/109(1)115(2)/352/127(2)/117(2) बीएनएस में वाँछित 01
अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक डण्डा बरामद।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.08.2026 को थाना दोघट पर वादी श्री कृष्णपाल पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम भडल थाना दोघट जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.चांदवीर पुत्र रामकिशन 2.छोटू पुत्र चांदवीर 3.नितिन पुत्र चांदवीर 4.अजय पुत्र सूरजवीर 5. विजय पुत्र सूरजवीर व दो महिला द्वारा एक राय होकर लाठी-डण्डो व पंच से वादी व नरेशपाल के साथ मारपीट करना, गाली-गलौच करना तथा अभियुक्त चांदवीर उपरोक्त द्वारा जाने से मारने की नियत से हाथ में पहने पंच से नरेशपाल के



सिर पर वार करना जिससे नरेशपाल गम्भीर रूप से घायल हो जाना । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 280/2026 धारा 191(2)/191(3)/109(1)115(2)/352/127(2)/117(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 280/2026 धारा 191(2)/191(3)/109(1)115(2)/352/127(2)/117(2) बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे घटना में प्रयुक्त एक डण्डा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अजय पुत्र सूरजवीर निवासी ग्राम भडल थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक डण्डा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2.है0का0 877 अनिल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3.रि0का0 578 संतोष कुमार थाना दोघट जनपद बागपत
- 4.रि0का0 273 ओमवीर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत





प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 14.09.2026

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 657/2026 धारा 303(2) बी.एन.एस. की घटना का अनावरण कर वाहन चोर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 12.09.26 को थाना बडौत पर आवेदक श्री दिग्विजय सरोहा पुत्र प्रमोद कुमार निवासी गली न0 2 छपरौली चुंगी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त के द्वारा वादी की मोटरसाइकिल न0 UP17R2997 को चोरी कर लेना है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 657/2026 धारा 303(2) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने मु0अ0सं0 657/2026 धारा 303(2) बी.एन.एस. की घटना का अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से अभियोग की घटना में चोरी मोटरसाइकिल न0 UP17R2997 बरामद हुई है।

नोट: उपरोक्त अभियोग में चोरी हुई मो0सा0 की बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बी.एन.एस. की बढोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

देव पुत्र जगपाल निवासी आजाद नगर कस्बा बडौत थाना कोतवाली बडौत जिला बागपत उम्र 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

01 मोटरसाइकिल लीगो गुजर सलेंडर नं0 UP 17 R 2997

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ०नि० श्री हिमांशु सागर थाना बड़ौत, बागपत।
- 2-है०का० 750 सुनील कुमार थाना बड़ौत, बागपत।
- 3-का० 982 नीरज कुमार थाना बड़ौत, बागपत।
- 4-रि०का० 449 सौरभ कुमार थाना बड़ौत, बागपत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 14.09.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 13.09.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी कपिल कुशवाह पुत्र सतेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मीतली, थाना बागपत, जनपद बागपत द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर, रजि० नं० HR-07-S-1070, चोरी कर ली गई। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 607/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अरुण पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी सिसौली थाना भौराकलां जिला मुजफ्फरनगर उम्र करीब 18 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- मो०सा० नं० एच आर ०७ एस १०७०

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- १-उ०नि० श्री आशीष कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- २-है०का० ८२१ सोनू कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- ३-का० ४७७ हरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना- सिंघावली अहीर

दिनांक -14.09.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0-301/26 धारा – 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0-301/26 धारा – 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

आकिब पुत्र उम्मेद निवासी ग्राम खिन्दौडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-नि0अ0 जितेन्द्र सिंह यादव थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 शीलेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-का0 552 नीरज कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।